



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1632 वर्ष 2026

राम केवल

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : चन्द्रसेन पाल, जयदेवी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/ प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर भी यदि प्रत्यर्थी/ प्रत्यर्थीगण आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष प्रत्यर्थी सं० 2 उपखण्ड अधिकारी, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ को शीघ्रता से मामला सं० 6177 वर्ष 2024, कम्प्यूटरिकृत मामला सं० टी202415060306177 का विनिश्चय करने के निदेश देने के संबंध में है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पहले ही पर्याप्त समय बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को पूर्वोक्त मामला शीघ्रता से सर्वथा विधि के अनुसार तथा अनावश्यक स्थगन दिये बिना विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"